निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 665/दावा/2017 तारीख दायरा 09.10.2017

उनवान

झालूलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला तह0 झालरापाटन

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर झालावाड़
2. तहसीलदार, तहसील झालरापाटन
3. केसरीलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला तह0 झालरापाटन
4. किशनलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला तह0 झालरापाटन
5. श्रीमती सीताबाई पत्नि माँगीलाल पुत्री काना जाति भील निवासी ग्राम देवली तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. श्रीमती धापूबाई पत्नि प्रताप पुत्री काना जाति भील निवासी ग्राम भंवरासा तह0 झालरापाटन
7. श्रीमती भूलीबाई पत्नि प्रभूलाल पुत्री काना जाति भील निवासी ग्राम रायपुर तह0 झालरापाटन

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88—91—209 आरटी एक्ट 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री बच्चूलाल (वादी)
विद्वान अभिभाषक श्री अशोक गुर्जर
विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार (प्रतिवादीगण)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 11.11.2019

संक्षेप में दाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलमंडीकला की आराजी खाता संख्या नयी 38 पुरानी 35 की खसरा न0 325 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न0 326 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा न0 327 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 की 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 केसरी लाल, प्रतिवादी संख्या 4 किशनलाल व एक अन्य प्रभूलाल दर्ज है। इन तीनो व्यक्तियों के पिता श्री काना था जिनकी वर्षों पूर्व मृत्यु हो चुकी है। काना की मृत्यु के बाद आराजी इन तीनों के नाम दर्ज की गई। नकल जमाबदी संवत 2071 से 2074 पेश की गई। काना की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तथा प्रभूलाल के नाम दर्ज की गई लेकिन जमाबंदी में काना के तीसरे लड़का जिसका नाम कालू है जो वाद में वादी है के स्थान पर एक काल्पनिक नाम प्रभूलाल दर्ज कर दिया है जो गलत है। काना के प्रभूलाल नाम का कोई लड़का नहीं था। काना के वारिसान प्रतिवादीगण 3 लगायत 7 है। इसके अलावा मृतक काना के कोई उत्तराधिकारी नही है। वादी बिल्कुल अनपढ है। उसके पिता की मृत्यु के बाद जो इन्तकाल तस्दीक हुआ उसमें काना के पुत्र कालू के स्थान पर प्रभूलाल दर्ज कर दिया है क्योंकि वादी का बोलता नाम प्रभूलाल है। जबकि सरकारी रिकॉर्ड में नाम कालू है। तहसील द्वारा काना के लड़कों में एक लड़के नाम प्रभूलाल दर्ज कर दिया है जो गलत है जो ठीक होना आवश्यक है।

प्रश्नगत आराजी वर्तमान में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण के लिए अवाप्त कर ली गई है। भूमि अवाप्ति की राशि खातेदारों को मिलनी है लेकिन प्रभूलाल नाम का कोई लडका काना के नहीं था न है। अतः यह राशि राज्य सरकार के पास ही पड़ी रहेगी इस राशि का दावेदारान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के साथ साथ वादी भी है। यदि राशि राज्य सरकार के पास ही व्यर्थ में पडी रहेगी तो वादी को आर्थिक नुकसान होगा तथा बगैर किसी औचित्य व आधार के मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित हो जावेगा। जबकि वह काना का पुत्र होने के नाते खातेदारी में हिस्से के अनुसार राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार झालरापाटन को रिकॉर्ड दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होनें कोई जवाब नहीं दिया जिसके कारण वाद उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

नियमानुसार दो माह पूर्व नोटिस जर्ये एडवोकेट दिया गया है जिसकी प्रति एवं रसीद पत्रावली में संलग्न है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादी गण संख्या 3,4,5,6,7 इकबाली जवाब दावा जर्ये अभिभाषक एवं उपस्थित प्रतिवादी गणों प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वकील वादी को दिलवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से तहसीलदार झालरापाटन ने दिनांक 25.06.20019 को जवाब में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है। चूंकि प्रकरण अन्तर्गत धारा 88-91-209 आरटी एक्ट एवं धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है जो एलआर एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र में कवर होता है। इसलिए वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के तरीके से व्यावहारिक किया गया है। इसलिए यह न्यायालय वाद पत्र में तनकियात कायम किया जाना उचित नहीं समझता है। तथा पत्रावली को साक्ष्य में रखा जाना उचित समझता है। पत्रावली में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट जिसमें तहसीलदार ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी खाता संख्या नई 38 पुरानी 35 कुल किता 3 की रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा खातेदार केसरीलाल, प्रभूलाल, किशनलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला के खाते दर्ज है। खाते में दर्ज प्रभूलाल अपना नाम कालूलाल दर्ज करवाना चाहता है तथा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कालूलाल वादी का नाम नामान्तरण संख्या 17 दिनांक 31.08.1977 से बेचान द्वारा दर्ज हुई तथा वादी अपना नाम खाते में प्रभूलाल को कालूलाल दर्ज करवाना चाहता है। वर्तमान में वादी का नाम खाते मे दर्ज प्रभूलाल बेचान से आया है। वादी के पक्ष में प्रतिवादी गणों द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है जिसमे प्रश्नगत आराजी के समस्त खातेदारान ने वादी का वाद स्वीकार किये जाने में तथा वाद को डिक्री किये जाने में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई है साथ ही वादी के पक्ष में वादी के भाई तथा ग्राम के अन्य गवाह सज्जन सिंह, रतनलाल के बयानों एवं वादी के सगे भाई केसरी लाल तथा किशनलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडी कला ने भी अपने भाई यानि वादी कालूलाल के पक्ष में तरदीकशुदा बयान प्रस्तुत किये है जिसमें वादी कालूलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रभूलाल के स्थान पर कालूलाल दर्ज किये जाने में अपनी सहमति बयानों में दर्ज करवायी है तथा वादी द्वारा भी अपना सही नाम किये जाने की पुष्टि में अपना स्वयं का आधार कार्ड न0 451298015330 तथा भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की फोटो प्रतियां एवं राशन कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का सही नाम प्रभूलाल के स्थान पर कालूलाल किये जाने हेतु प्रस्तुत किये है जो पत्रावली मे संलग्न है इन सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रभूलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र काना जाति भील दर्ज करवाना चाहता है।

अब पत्रावली का अवलोकन किया गया है। बहस वकील वादी सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार झालरापाटन की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टतया यह प्रतीत होता है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कालूलाल के स्थान पर प्रभूलाल दर्ज हो गया है जिसे लिपिकिय भूल माना जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जा सकती है जिसका वादी पात्र है तथा वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य न्यायहित में प्रतीत होता है।

अतः वाद-वादी डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम कलमंडीकला तहसील झालरापाटन की खाता संख्या नया 38 पुराना 35 के खसरा न0 325 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न0 326 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा न0 327 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 की 6 बीघा 5 बिस्वा में वादी का नाम प्रभूलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। फर्द डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

फर्द डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी :– उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

उनवान

कालूलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला तह0 झालरापाटन —वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर झालावाड़
2. तहसीलदार, तहसील झालरापाटन
3. केसरीलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला तह0 झालरापाटन
4. किशनलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला तह0 झालरापाटन
5. श्रीमती सीताबाई पत्नि मॉंगीलाल पुत्री काना जाति भील निवासी ग्राम देवली तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. श्रीमती धापूबाई पत्नि प्रताप पुत्री काना जाति भील निवासी ग्राम भंवरासा तह0 झालरापाटन
7. श्रीमती भूलीबाई पत्नि प्रभूलाल पुत्री काना जाति भील निवासी ग्राम रायपुर तह0 झालरापाटन

–प्रतिवादीगण

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री बच्चूलाल (वादी)

विद्वान अभिभाषक श्री अशोक गुर्जर

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53–209 आरटी एक्ट

मुकदमा नं0– 665/दावा/2017

निर्णय दिनांक– 11.11.2019

वादी की ओर से श्री बच्चूलाल की व प्रतिवादी की ओर से श्री अशोक गुर्जर, पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख 11.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वाद वादी फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश हैं कि ग्राम कलमंडीकला तहसील झालरापाटन की खाता संख्या नया 38 पुराना 35 के खसरा न0 325 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न0 326 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा न0 327 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 की 6 बीघा 5 बिस्वा मे वादी का नाम प्रभूलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र काना जाति भील निवासी कलमंडीकला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। फर्द डिक्री जारी की गई।

यह आज तारीख 11.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर.......

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियो के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2019.12.05 17:28:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: